

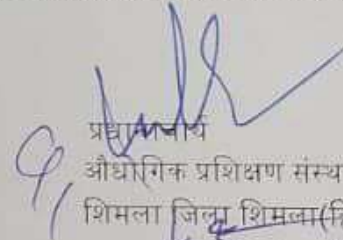
संख्या:- STV(IT)SML/Store/Auction/2022-2977-2980

दिनांक 31/08/2026

नीलामी सूचना

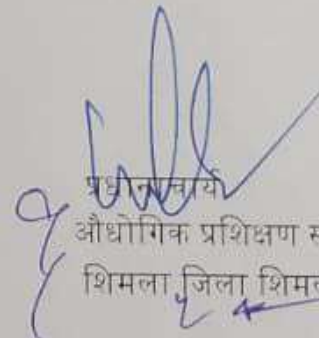
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान के अनुपयोगी भंडार से संबंधित पुराने समान/नाकारा वस्तुओं एवं लोहे की नीलामी इस संस्थान के प्रांगण में दिनांक 08.09.2026 को दोपहर 12:00 बजे होनी निश्चित हुई है। इच्छुक बोलीदाता को बोली देने से पहले इस संस्थान के कैशियर के पास रुपये 10,000/- बतौर जमानत राशि दोपहर 12:00 बजे तक जमा करवाने होंगे जोकि बोली समाप्त होते ही सफल बोलीदाता के नाम समायोजित कर दी जाएगी व अन्य को वापिस कर दी जाएगी। अनुपयोगी भंडार के सामान को किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 10 बजे से साँय 5 बजे तक दिनांक 07.09.2026 तक देखा जा सकता है। नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. नीलामी संस्थान के प्रांगण में होगी।
2. बोली में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाता की फर्म का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र तथा फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि का पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की स्व-सत्यापित छायाप्रति और मूल दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा।
3. बोली उच्च बोलीदाता के पक्ष में बंद कर दी जाएगी तथा बोलीदाता को नीलामी की स्वीकृति के मूल्य की 50 प्रतिशत राशि नौके पर ही जमा करवानी होगी तथा शेष राशि बोली के समाप्त होने के 48 घंटों के अंदर जमा करवानी होगी।
4. नीलाम होने वाला सामान एक जगह एकत्र होगा तथा जहाँ है, जैसा है की स्थिति में नीलाम होगा। इच्छुक प्रतिभागी नीलामी के सामान को किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 10 बजे से साँय 5 बजे तक दिनांक 07.09.2026 तक देख सकते हैं।
5. नीलामी का सामान नीलामी की तिथि से सात दिनों के अन्दर उठाना होगा। सफल बोलीदाता को स्वीकृत लॉट का संपूर्ण सामान (लोहे के साथ-साथ बेकार/कम मूल्य का सामान जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, स्क्रैप आदि भी) पूरी तरह से उठाना होगा। संस्थान परिसर में किसी भी प्रकार का कोई भी अवशेष या नाकारा सामान छोड़ना सख्त वर्जित है। निश्चित अवधि तक नीलामी का सामान न उठाया गया तो जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी और उसके लिये बोलीदाता स्वयं जिम्मेवार होगा।
6. किसी भी प्रकार के विवाद में संस्थान की समिति को फैसला लेने का अधिकार होगा जोकि सर्वमान्य होगा।


प्रधानाचार्य
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
शिमला जिला शिमला (हि० प्र०)-05
दिनांक 31/08/2026

प्रसूचन सं-उपरोक्त- 2977-2980.
प्रतिलिपि :-

1. निदेशक तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण सुंदरनगर जिला मंडी हि. प्र. को सूचनार्थ।
2. थाना प्रभारी, पुलिस थाना बालुगंज जिला शिमला को सूचनार्थ।
3. समस्थ प्रधानाचार्य औ. प्र. संस्थान हि. प्र. को सूचनार्थ।
4. महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर सूचनार्थ।


प्रधानाचार्य
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
शिमला जिला शिमला (हि० प्र०)-05